प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 08 मई, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजू उर्फ संजय पुत्र श्री सुरजन सिंह, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-38867/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.12.2024), दिनांक-20.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजू उर्फ संजय पुत्र श्री सुरजन सिंह, जो ग्राम-पिलखतरा, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का निवासी है। पूर्व में भूरा उर्फ उदयपाल व कु० विजया घर से भाग जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 13/14.11.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी राइफलों व नाजायज असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल व कु० विजया की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-23/2010 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), एटा के आदेश दिनांक 08.06.2011 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2) एस०टी० नं0-180/2009, धारा-2/3 गिरोहबन्ध अधि0, 1986 में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), कक्ष सं०-02, एटा के आदेश दिनांक 30.01.2023 द्वारा 08 वर्ष का कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.08.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने में समर्थ होने, दोनों पक्षों में प्रतिद्वधता के कारण शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा ठीक होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है पूर्व में भूरा उर्फ उदयपाल व कु० विजया घर से भाग जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 13/14.11.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी राइफलों व नाजायज असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल व कु० विजया की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एर्व जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संजू उर्फ संजय पुत्र सुरजन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजू उर्फ संजय (बन्दी संख्या-15769) पुत्र श्री सुरजन सिंह, निवासी जनपद-एटा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-416/2025/2260(1)/22-2-2024 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-416/2025/2260/22-2-2024-17(03)/2025

दिनांक 08 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजू उर्फ संजय पुत्र श्री सुरजन सिंह, जो ग्राम-पिलखतरा, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का निवासी है। पूर्व में भूरा उर्फ उदयपाल व कु० विजया घर से भाग जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 13/14.11.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी राइफलों व नाजायज असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल व कु० विजया की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-23/2010 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), एटा के आदेश दिनांक 08.06.2011 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2) एस०टी० नं0-180/2009, धारा-2/3 गिरोहबन्ध अधि0, 1986 में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), कक्ष सं०-02, एटा के आदेश दिनांक 30.01.2023 द्वारा 08 वर्ष का कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.08.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने में समर्थ होने, दोनों पक्षों में प्रतिद्वधता के कारण शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा ठीक होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है पूर्व में भूरा उर्फ उदयपाल व कु० विजया घर से भाग जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 13/14.11.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी राइफलों व नाजायज असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल व कु० विजया की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एर्व जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संजू उर्फ संजय पुत्र सुरजन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in